भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 2014/2009

[2017] 2 एस. सी. आर. 935

मंती देवी और अन्य ...अपीलार्थीगण

बनाम

किशन साह @किशन देव साव और अन्य ...प्रतिवादीगण

निर्णय

कुरियन जोसेफ .....न्यायाधिपति

आर. बानुमथी .....न्यायाधिपति

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एसएस 99 और 141- धारा 141 के मद्देनजर पुनरीक्षण के लिए धारा 99 की प्रयोज्यता- अपीलकर्ता/वादी द्वारा बेदखली का मुकदमा विचारण न्यायालय द्वारा किया गया। पक्षकारों के गैर-याचिकाकर्ता/गलत जवाब देने के कारण पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित कर दिया गया, सी. पी. सी. की धारा 99 के तहत आयोजित

मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करने वाले पक्षों के किसी भी गलत या गैर-प्रतिवाद के कारण किसी भी डिक्री को धारा 141 के आधार पर वापस नहीं किया जा सकता है या अपील में बदलाव नहीं किया जा सकता है। मुकदमे के संबंध में सी. पी. सी. के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जहां तक इसे किसी भी सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में कार्यवाही पर लागू किया जा सकता है-इसलिए, यू/एस 99 के तहत क्या प्रदान किया गया है अपील के संबंध में पुनरीक्षण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण में पारित निर्णय पर भी लागू होगा, पुनरीक्षण में पारित उच्च न्यायालय के फैसले ने, मामले के गुण दोषों को प्रभावित नहीं करने वाले , कुसयोजन या पार्टियों के गैर जुड़े होने के आधार पर विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, प्रतिवादियों /किराएदारों को खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को आत्मसमर्पण करने के लिए समय दिया गया छह सप्ताह के भीतर सामान्य उपक्रम भरना के अधीन ।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया: धारा 99, सी. पी. सी. स्पष्ट है। पक्षकारों के असंतुष्ट या गैर-प्रतिवादी होने के कारण किसी भी डिक्री को वापस नहीं किया जा सकता है या अपील में बदलाव नहीं किया जा सकता है।सी. पी. सी. की धारा 141 के तहत, मुकदमे के संबंध में संहिता के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जहां तक इसे किसी भी सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में कार्यवाही के लिए लागू किया जा सकता है।इसलिए, अपील के संबंध में सी. पी. सी. की धारा 99 के तहत जो प्रावधान किया गया है, वह संशोधन पर भी लागू होगा।[पैरा 5] [938-बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की सिविल अपील सं. 2014।

2006 के सिविल संशोधन संख्या 115 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रेरणा सिंह, टी. महिपाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण के लिए।

गौरव अग्रवाल, प्रत्यर्थीगणो के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति कुरियन 1. अपीलार्थीगण ने व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर दो कटरों को बाहर निकालने के लिए मुन्सिफ अदालत, पटना शहर के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।अपीलार्थीगण माँ और बेटा हैं।मुकदमा निम्नलिखित शर्तों पर तय किया गया थाः

"27. मुद्दा संख्या ॥:- क्या वादी को मुकदमे के लिए कार्यवाही का वैध कारण मिला है।

वादी ने प्रतिवादियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर मुकदमे से बेदखल करने की मांग की है।वादी ने प्रतिवादी संख्या. 1 के मूल मकान मालिक से सूट कटरा खरीदा है।1.प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को अपने मकान मालिक के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वादी को मासिक किराया देने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस आधार पर वादी को किराया देने से इनकार कर दिया कि वादी सूट कटरा के मकान मालिक नहीं थे।प्रतिवादी संख्या

1 ने वादी के साथ किरायेदार और मकान मालिक के संबंधों से भी इंकार किया। ऊपर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वादी मुकदमे की संपत्ति के खरीदार होने के नाते अपने विक्रेताओं के स्थान पर कदम रखते हैं और कानून की कल्पना से वे मकान मालिक बन जाते हैं।मामले के इस दृष्टिकोण में मैं पाता हूं कि वादी को मुकदमे के लिए कार्यवाही का वैध कारण मिल गया है।इस तरह वाद संख्या ii का निर्णय भी वादी के पक्ष में किया जाता है।

28. मुद्दा संख्या 7:- क्या वादी बेदखली या किसी अन्य राहत या राहत के लिए डिक्री के हकदार हैं।

ऊपर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वादी को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए सूट कटरों की आवश्यकता होती है और इस तरह वे किरायेदारों द्वारा सूट कटरों को खाली कराने के हकदार हैं।यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि वादी ने वास्तविक मालिकों से सूट कटरा खरीदे हैं और वे मकान मालिक या उपरोक्त कटरा बन जाते हैं।उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुँचता हूँ कि वादी प्रतिवादियों के खिलाफ बेदखली डिक्री प्राप्त करने का हकदार है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वादी भी मुकदमे की लागत के हकदार हैं।

29. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए मैं पाता हूं और मानता हूं कि प्रतिवादी सूट कटरा से बेदखल होने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर सूट

कटरों को खाली कर दें और उसके खाली कब्जे को सौंप दें, जिसमें विफल रहने पर वादी कानून की प्रक्रिया द्वारा सूट कटरों के खाली कब्जे का हकदार होगा।

2. प्रत्यर्थियों/किरायेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में मामले को आगे बढ़ाया।उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पक्षकारों की गलतफहमी के कारण मुकदमा खारिज किया जा सकता है।प्रासंगिक विचार इस प्रकार हैः

"मेरे विचार में, वर्तमान मामले को इस साधारण कारण से नहीं बचाया गया है कि जहां वादी ने संयुक्त रूप से मकान मालिक होने के लिए याचिका दायर की थी और यह पाया गया है कि वे विचाराधीन मुकदमे के उद्देश्यों के लिए" मकान मालिक "नहीं हैं, तो संयुक्त रूप से उनके पास कार्यवाही का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से उनके पास अलग-अलग गुणों के खिलाफ कार्यवाही के अलग-अलग कारण थे। साक्ष्य गुणों में अंतर नहीं करते हैं। यह संपत्ति को सह-मालिक के रूप में देखता है जो गलत है।उनका मुकदमा परिसर के संयुक्त/सह-स्वामित्व के गलत और गलत आधार पर दायर किया गया था। उनकी कोई संयुक्त व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं थी।मेरे विचार में, यह मामले की योग्यता को भौतिक रूप से प्रभावित करता है और तदनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 द्वारा संरक्षित नहीं है।इस प्रकार बेदखली की डिक्री को उलट दिया जा सकता है और तदनुसार इसे अलग कर दिया जाता है और मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

3. हमने अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागेंद्र राय और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल को सुना है।

4. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी आदेश को पक्षकारों के गैर-प्रतिवादी या गलत इरादे के कारण उलट या महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 इस प्रकार हैः

"99. गुण या अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करने वाली त्रुटि या अनियमितता के लिए कोई डिक्री वापस या संशोधित नहीं की जाएगी।- किसी भी डिक्री को वापस नहीं किया जाएगा या काफी हद तक बदला नहीं जाएगा, और न ही किसी भी मामले को पक्षकारों के किसी भी गलत या गैर-प्रतिवादी या कार्यवाही के कारणों या किसी भी कार्यवाही में किसी भी त्रुटि, दोष या अनियमितता के कारण अपील में रिमांड किया जाएगा।मुकदमा, जो मामले के गुण-दोष या न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता हैः

बशर्ते कि इस धाराकी कोई भी बात किसी भी आवश्यक पक्ष के गैर-प्रतिवादी पर लागू नहीं होगा।

5. हमारे विचार में प्रावधान स्पष्ट है।पक्षकारों के गलत या गैर-प्रतिवादी होने के कारण किसी भी डिक्री को वापस नहीं किया जा सकता है या अपील में काफी

बदलाव नहीं किया जा सकता है।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 के तहत, मुकदमे के संबंध में संहिता के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जहां तक इसे सिविल क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए लागू किया जा सकता है।इसलिए, अपील के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 के तहत जो प्रावधान किया गया है, वह संशोधन पर भी लागू होगा।

6. उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को बहाल कर दिया जाता है।अपील की अनुमति है।

7. हालाँकि, उत्तरदाताओं/किरायेदारों को खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को आत्मसमर्पण करने के लिए 30.09.2017 तक का समय दिया जाता है, बशर्ते कि वे छह सप्ताह के भीतर सामान्य वचन पत्र दाखिल करें।यदि उपरोक्त के रूप में वचन पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो प्रत्यर्थीगण खाली कब्जे को सौंपने के लिए समय के इस विस्तार के हकदार नहीं होंगे।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

9. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

बेंच

कुरियन जोसेफ .....न्यायाधिपति

आर. बानुमथी .....न्यायाधिपति

नई दिल्ली

निर्णय की तारीख 23 मार्च, 2017

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा